

29/6/18

पत्रावली आज लोक अदालत-मध्य रापिडे हार
ग्राम पचायत मुख्यालय मसुदा पर पेश हुई।
वादिता स्वयं उपस्थित। उक्त निवेदन कि या
कि प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं चालनी
चाहते हैं प्रकरण इसी स्थिति पर कार्रवाई शेष
की जावे। एवं एसी वी रिज्यूनी इन्डिस्ट्रिय पर अंतर्कित
की वादिता को निवेदन एकीकार योग्य लेने से
स्वीकार किया जाता है। एवं प्रकरण पर इसी स्थिति
पर कार्रवाई शेष की जाती है। मिसल फैसला
सुमार होकर नमूनर से कम हो। वाद वफावर दाखिल की

दावा को नहीं
पलाना भावते है

दावा पर
कार्रवाई
शेष की
जावे।

कर्माला

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

मसुदा (अजमेर) राज०

